सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 2 राँची, मंगलवार, 22 अग्रहायण, 1938 (श०) / 13 दिसम्बर, 2016 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

6 दिसम्बर, 2016

विषयः- छावनी परिषद् रामगढ़ के क्षेत्र अन्तर्गत नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा संचालित केन्द्र/राज्य सम्पोषित योजनाओं का कार्यान्वयन नगर परिषद रामगढ़ द्वारा कराए जाने के संबंध में ।

संख्या- सुडा/एस०बी०एम०/टार्गेट/66/2016-6655-- रामगढ़ छावनी परिषद का संचालन रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है । यह न तो ग्रामीण क्षेत्र है और ना ही शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में शहरी विकास योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं हो पाता है । फलस्वरूप रामगढ़ छावनी परिषद की जनता को कई नागरिक सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं ।

2. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र में नागरिकों को मौलिक एवं बुनियादी सुविधाऐं उपलब्ध कराने, परिषद क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त करने, अन्य शहरी विकासात्मक उद्देश्यों को पूरा करने तथा यथा अनुमान्य केन्द्र/राज्य सम्पोषित योजनाओं का कार्यान्वयन नगर परिषद रामगढ़ के द्वारा कराया जा सकेगा ।
उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में छावनी परिषद्, रामगढ़ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है ।

3. इस पर मंत्रिपरिषद के बैठक दिनांक 29 नवम्बर, 2016 के मद संख्या-12 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 2--50